

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/47

दिनांक 23.1.18

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2017-18 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1.	डॉ. अक्षयराज कल्ला	22.02.1988	09.10.2017	08.10.2018	09.10.2018
2.	डॉ. अभिषेक सिंह	06.07.1990	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
3.	डॉ. कुश नन्दवाना	05.12.1990	17.07.2017	16.07.2018	17.07.2018
4.	डॉ. ललित सिंह सालावत	15.01.1988	18.07.2017 A/N	18.07.2018	19.07.2018
5.	डॉ. अशोक कुमार लेघा	01.07.1992	25.07.2017	24.07.2018	25.07.2018
6.	डॉ. योगेश कुमार मीणा	17.12.1988	27.07.2017	02.09.2018 (68 EOL)	03.09.2018
7.	डॉ. चन्द्रवीर परमार	05.01.1989	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018
8.	डॉ. विकास मीणा	27.02.1989	26.07.2017	25.07.2018	26.07.2018
9.	डॉ. देवेन्द्र कुमार	03.03.1988	12.08.2017	01.09.2018 (51 EOL)	02.09.2018
10.	डॉ. राकेश चौधरी	04.07.1989	26.07.2017	25.07.2018	26.07.2018

23.1.18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर


कृ. प. उ.

कमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2018 / ५७

दिनांक 23.1.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर